सत्यमेव जयते

संख्या : /जी0एस0/शिक्षा/A3-110(1)/2020

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

-1 OCT 2020

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून दिनांक अगस्त, 2020**

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्याः 451 दिनांक 06–07–2020 एवं अपने पत्र संख्याः 1474 दिनांक 20–03–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री राम सिंह धौनी, राजकीय महाविद्यालय, जैंती, अल्मोड़ा, में बी0एस–सी0 (पी0सी0एम0 एवं जेड0बी0सी0) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019–20 से 2021–22 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करेगी तथा विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना से मा0 कुलाधिपति महोदया को अवगत करायेगा :–

क्रमांक	**महाविद्यालय/संस्था का नाम**	**पाठ्यक्रम का नाम**	**प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)**	**अस्थाई सम्बद्धता की अवधि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	श्री राम सिंह धौनी, राजकीय महाविद्यालय, जैंती, अल्मोड़ा	बी0एस–सी0 (पी0सी0एम0 एवं जेड0बी0सी0)	30–30 सीट प्रति ग्रुप	सत्र 2019–20

4– तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1515 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A3-110-1 /2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।